

पौंचवीं  
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण  
2016-2017



पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड  
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित)

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे )

### निदेशक मंडल

श्री अनिल कुमार	-	अध्यक्ष
श्री बलदेव राम बेरवाल	-	निदेशक
श्री भगवान सहाय	-	निदेशक
श्रीमती मंजू जाखड़	-	निदेशक
श्रीमती ममता चौधरी	-	निदेशक
श्रीमती गीता देवी गुर्जर	-	निदेशक
श्रीमती कमला देवी	-	निदेशक
श्री द्वंगर सिंह राठौड़	-	निदेशक
श्री सेडमल शर्मा	-	निदेशक
श्री जय सिंह राठौड़	-	निदेशक
श्री मेवाराम बैरवा	-	निदेशक
डॉ. ओमवीर सिंह	-	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. सी.एल. दाधीच	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	-	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

### कम्पनी सचिव

श्री अनूप गुप्ता

### वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी. बिल्हीमोरिया एंड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,  
गुरुग्राम, हरियाणा

### बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर  
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्मस, जयपुर  
एच.डी.एफ.सी.बैंक, जयपुर  
आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जयपुर  
येस बैंक, जयपुर

### रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड  
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर  
वैशाली नगर, जयपुर-302 021 (राजस्थान)  
दूरभाष नं. : +91-141-2352736  
ईमेल : [info@paayasmilk.com](mailto:info@paayasmilk.com)  
[www.paayasmilk.com](http://www.paayasmilk.com)

### वरिष्ठ प्रबन्धक-वित्त

श्री कपिल पचौरी

### आंतरिक अंकेक्षक

मैसर्स अर्सेस्ट एंड यंग एलएलपी  
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,  
गुरुग्राम, हरियाणा

### अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं.
1. निदेशकों का प्रतिवेदन	1-8
2. स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	9-10
3. स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक	11-15
4. वार्षिक लेखा विवरण:	
(अ) 31 मार्च, 2017 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा	16
(ब) 31 मार्च, 2017 के लिये लाभ-हानि खाता	17
(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	18
5. लेखांकन नीतियों का विवरण	19-22
6. अनुसूची संख्या (3-38)	23-38
7. आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	39-52
8. उपस्थिति पर्ची	53
9. प्रॉक्सी फॉर्म	54



प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की छठी वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अन्यंत हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी ने कुल रु. 1062.19 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर भुगतान करने के पश्चात् रु. 11.15 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। आप द्वारा पायस को दी गई दुग्ध की प्रतिपूर्ति की वचनबद्धता के आधार पर लॉयल्टी इन्सेन्टिव दिया गया है जो आपके विश्वास को सुदृढ़ कर और प्रोत्साहित करेगा। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी “पायस” ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध और घी का विक्रय कर रही है और वित्तीय वर्ष 2016-17 में कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादों में वृद्धि कर दही और छाठ का भी विक्रय प्रारम्भ किया है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड के नाम से मिनरल मिक्सचर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से गुणवत्ता प्रधान कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने के लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये हैं। कम्पनी द्वारा चारा विकास संबंधी गतिविधियों के अन्तर्गत जिसमें चारा परिरक्षण (साईलेज) पर प्रदर्शन, घास काटने की मशीन संबंधी प्रदर्शन, चारा भण्डारण प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति कर रही है।

कम्पनी की उत्तरोत्तर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,

ह./-

(रतन कुमार सिंह)

मुख्य कार्यकारी

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

### अंशधारकों के लिये निदेशकों का प्रतिवेदन

निदेशकों को 31 मार्च, 2017 की समाप्त अवधि के कम्पनी के संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते पाँचवी वार्षिक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों एवं अन्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया था।

### वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए।	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए।
कुल आय	<b>1062.19</b>	845.31
कुल लागत (व्यय सहित)	<b>1045.32</b>	825.40
कर के पूर्व लाभ / (हानि)	<b>16.87</b>	19.91
कर हेतु प्रावधान	<b>5.72</b>	7.02
कर के पश्चात् लाभ / (हानि)	<b>11.15</b>	12.89

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने रु. 1062.19 करोड़ की कुल आय प्राप्त की जो एक रिकार्ड है।

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी की कुल आय रु. 1062.19 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रु. 845.31 करोड़ की तुलना में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रु. 825.40 करोड़ की तुलना में वृद्धि के साथ कुल व्यय रु. 1045.32 करोड़ रहे हैं।

पिछले वर्ष कर के पश्चात लाभ रु. 12.89 करोड़ की तुलना में समीक्षा वर्ष में कर के पश्चात लाभ रु. 11.15 करोड़ रहा।

### सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रु. 8/- प्रति समता अंश की दर से कुल रु. 2.96 करोड़ लाभांश राशि (जिसमें रु. 50.04 लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स सहित) देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

### सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुच्छेद 11.10 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58(1)(i) की अनुपालना में निदेशक मंडल ने रु. 8.19 करोड़ की राशि को आर्थिक चिठ्ठा में सामान्य संचय में जमा करने का प्रस्ताव है।

### संचालन कार्य (Operations)

कम्पनी राजस्थान के 8 जिलों के 3,201 गाँवों में 3,444 दुग्ध संकलन केन्द्र से दुग्ध संकलन कर रही है। पिछले वर्ष 20.27 करोड़ लीटर दुग्ध संकलन की तुलना में, समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी ने 23.03 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार एवं मात्रा में पॉली पैक दुध का लगातार विक्रय कर रही है। पिछले वर्ष पॉली पैक दुध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 154 लाख लीटर व 422 मैट्रिक टन की तुलना में, समीक्षा अधिकारी के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 241 लाख लीटर व 653 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके दुध एवं दुध उत्पादों की बिक्री आगे बढ़ेगी इसलिए कम्पनी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

### मान्यता (Recognition)

इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आई.डी.ए.) जोकि भारतीय डेयरी क्षेत्र की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, ने श्रीमती ममता चौधरी (निदेशक) को डेयरी क्षेत्र औफ दी ईयर 2017 के पुरस्कार के लिए चुना। 15 फरवरी, 2017 को मुंबई में आयोजित 45वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेस के दौरान इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने प्रमुख शिक्षाविदों व औद्योगिक दिग्गजों की उपस्थिति में श्रीमती ममता चौधरी को सम्मानित किया। यह लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें पायस कम्पनी के निदेशक को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गत वर्ष कम्पनी की निदेशक श्रीमती मंजू जाखड़ को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

### क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

समीक्षा वर्ष के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड (CARE) ने कम्पनी को पुनः “AA-” (डबल ए माइनस) रेटिंग दी है। रेटिंग कम्पनी की ऋण प्राप्ति पर एक सामान्य राय देती है।

### उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

#### दुध एवं दुध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी ग्राहकों को गुणवत्ता दुध एवं दुध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं।

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम्)	विभिन्न श्रेणियां
फिट एन फाइन	डबल टोन्ड मिल्क	फैट: 1.5   एस.एन.एफ: 9.0	200ml, 500ml, 1L, 6L
ताजा	टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0   एस.एन.एफ: 8.5	500ml, 1L, 6L
गोल्ड	फुल क्रिम मिल्क	फैट: 6.0   एस.एन.एफ: 9.0	500ml, 1L, 6L
चाय विशेष	होमोनाइज्ड टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0   एस.एन.एफ: 8.5	200ml, 500ml

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में दुध का विक्रय करती है।

### दही

पायस “दही” कम्पनी की उत्पाद श्रृंखला में नया उत्पाद है जिसका 200 ग्राम के पैक में विक्रय किया जा रहा है। उपभोक्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया से इसका सात महिनों में 93 हजार किलोग्राम से अधिक का विक्रय हुआ।

### छाछ

पायस छाछ का 500 ml के पैक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

### घी

पायस घी 1 लीटर/आधा लीटर (सिक्का पैक) एवं 15 किलोग्राम के टिन में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

## चाय विशेष-होमोनाइज्ड टोन्ड मिल्क

पायस होमोनाइज्ड टोन्ड मिल्क का विक्रय फरवरी, 2017 से शुरू किया और उसके 45 दिनों में 4.5 लाख लीटर विक्रय से शुरूआत की है।

### पशु आहार (Cattle Feed)

वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी ने अपने "मुद्रिका" ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार BIS Type-II और गोल्ड हाई एनर्जी की लगभग 20,600 मैट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की। गत वर्ष की तुलना में इस बिक्रीमें 35 प्रतिशत की वृद्धि रही।

### राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर (Rajasthan Specific Mineral Mixture)

राजस्थान की मिट्टी में उपलब्ध नहीं होने वाले खास खनिजों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास करने के लिए कम्पनी ने सुनियोजित किया है और इसे कम्पनी अपने "मुद्रिका" ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप 133 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर वितरित हुआ है। यह गत वर्ष के विक्रय की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि है।

### उत्पाद विकास (Product Development)

पायस उत्पादों से मिली उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से कम्पनी पीठी लस्सी और मसालेदार छाल जैसे नए उत्पादों को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

### उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

पीआईबी विभाग का मुख्य कार्य सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। पायस ने राजस्थान के पांच जिलों जयपुर, सीकर, टोंक, पाली तथा अजमेर में "सदस्यता जागरूकता कार्यक्रम" का आयोजन किया, जिसमें 26,653 उत्पादकों/सदस्यों ने भाग लिया। 22,920 उत्पादकों/सदस्यों को "गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुध उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम" के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 7,586 महिला दुध उत्पादकों के लिये महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को डेयरी गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करना था।

1,603 ग्रामीण युवाओं को 'ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डेयरी के महत्व को समझाकर इसे भावी आजीविका के रूप में स्वीकार करने हेतु प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त 'ग्रामीण बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम' के तहत 454 ग्रामीण बच्चों को दुध एवं दुध उत्पादों की पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हे अपने आप को स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में डेयरी उत्पादों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है की कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए ताकि सदस्यों के मुद्दों का निवारण किया जा सके तथा दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हुये कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुड़ाव को प्रभावशाली बनाया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर 2,511 अनौपचारिक विलेज कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) और दुध अनुमार्ग स्तर पर 202 अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये। कम्पनी द्वारा एमआरजी सदस्यों के लिए 'नेतृत्व विकास कार्यक्रम' का भी आयोजन किया गया जिसमें 52 लोगों को नेतृत्व कर्तव्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रशिक्षित किया गया।

नीति संचालन पर निदेशक मंडल के सदस्यों की समझ को मजबूत करने के लिए रिफ्रेशर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बोर्ड के अधिमुखीकरण की दिशा में बोर्ड के सदस्यों ने 'बानी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड', पटियाला का दौरा किया तथा मुंबई में आयोजित 45वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेन्स में भाग लिया।

### उप-परियोजना योजना (Sub Project Plan)

कम्पनी ने निम्नलिखित के लिए नेशनल डेयरी डबलपर्मेंट बोर्ड में स्थित, परियोजना प्रबंधन ईकाई को नेशनल डेयरी योजना - फेज प्रथम के तहत चार उप-परियोजनाओं की योजना पेश की थी:

1. ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) (Village Based Milk Procurement System)
2. राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) (Ration Balancing Programme)
3. व्यवहार कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप (Pilot Model For Viable Artificial Insemination Delivery (AI))
4. चाराविकास (Fodder Development)

परियोजना प्रबंधन ईकाई ने नेशनल डेयरी प्लान-फेज प्रथम के तहत ऊपर दी गई सभी उप-परियोजना योजनाओं के लिये अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान की है। सभी चार योजनाओं को कम्पनी राजस्थान के पाँच संचालन जिलों जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली एवं टोक में कार्यान्वित किया जा रहा है।

### ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) (Village Based Milk Procurement System)

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली का उद्देश्य दुग्ध संकलन, जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण सत्रों का संचालन तथा अन्य ऐसी गतिविधियों के द्वारा विभिन्न हितधारकों की समताओं को बढ़ाते हुए कम्पनी को मजबूत करना है। इसका ध्येय एक न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी दुग्ध संकलन एकत्रिकरण तंत्र स्थापित करना और सदस्यों को उचित व यथासमय भुगतान सुनिश्चित करना है। ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली द्वारा लघु कृषकों की पहुँच पूरे साल संगठित डेयरी बाजार तक बनाये रखकर उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है। कम्पनी की योजना इस परियोजना के अंतर्गत पाँच जिलों के कुल 2716 गाँवों तक पहुँचाना है। परियोजना के अंत में, परियोजना के तहत अनुमानित 1,00,105 सदस्यों को सम्मिलित करने तथा 742 TKgPD दुग्ध संकलन करने की योजना है।

कम्पनी ने उप-परियोजना योजना (एस.पी.पी.) के क्षेत्र के अन्तर्गत 2772 गाँवों में स्थित 93,931 सदस्यों से 559 TKgPD दुग्ध का संकलन किया।

### राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

कम्पनी ने 2,700 गाँवों तक राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं को पहुँचाने के लिए नेटवर्क विकसित किया है। आर.बी.पी. ने पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को बदलने में मदद की है। कम्पनी ने उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

कम्पनी ने 1,401 (cumulative) लोकल रिसोर्स पर्सन (LRP) का परिनियोजन किया है, जिन्होंने 2700 (cumulative) गाँवों के 1,93,546 (cumulative) जानवरों के लिए राशन बैलेंसिंग का कार्य किया है।

### व्यवहार कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप

#### (Pilot model for viable Artificial Insemination delivery (AI))

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात नेशनल डेयरी डबलपर्मेंट बोर्ड (NDDB) के प्रशिक्षण केन्द्रों

में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्भी की जांच, 90 दिनों के बाद गर्भाधारण की जांच एवं पशु के व्याने तक का विवरण ईनाफ सॉटवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कर वास्तविक अनुभव ग्रहण करने हेतु उचित कार्यक्षेत्र में भेजा जाता है। पूर्ण प्रशिक्षण पश्चात उन्हे आवश्यक उपकरण प्रदान कर दुग्ध उत्पादकों के घर तक उत्कृष्ट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित केन्द्र पर नियुक्त किया जाता है, प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु मैट मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) की उस क्षेत्र में जिसमें लगभग 20 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र आते हैं, की नियुक्ति की जाती है। एक वेटरनरी एक्जीक्यूटिव प्रत्येक क्षेत्र का प्रबंध करता है। एक पशु प्रजनन अधिकारी लगभग 6-7 वेटरनरी एक्जीक्यूटिव को तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता प्रदान करता है।

कम्पनी ने 450 केन्द्रों के माध्यम से 3292 गाँवों में 2 लाख 45 हजार से अधिक (प्रथम AI फोलो-अप में 43 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता) AI की है।

### चारा विकास (Fodder Development)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत आने वाली उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

कम्पनी ने चारा विकास संबंधी गतिविधियां जैसे कि चारा परिरक्षण (साइलेज) पर प्रदर्शन, चारा फसल काटने की मशीन संबंधी प्रदर्शन, चारा भण्डारण प्रदर्शन, चारा फसल (थोर्नलेस कैटरपिलर, नेपियर घास) प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति की है।

कम्पनी ने 1 हजार (All cumulative) गाँवों को कवर करते हुए 189 ऑटो एंड मेन्युअल मॉवर, 100 साइलेज बनाने एवं 3 चारा भण्डारण प्रदर्शन के साथ समाप्त किया।

छोटे और सीमान्त दूध उत्पादकों के लिए, कम्पनी ने कम लागत वाले साइलेज बैग (क्षमता 1 टन) उपलब्ध करवाये, जिसकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही और इसके 121 प्रदर्शन किये गये।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ते दामों पर गुणवत्ता का चारा बीज जिसमें रिजका, ज्वार, मक्का और बाजरा के बीजों का वितरण कर रही है। कुल 603 किंविटल (cumulative) चारा बीज का वितरण किया गया। भविष्य में भिन्न प्रकार के चारा बीज जैसे की ड्रमस्टीक्स, जई, फोडर बीट और चाइनीज केबिज इत्यादि लाने की योजना है।

### गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। हमारे दुग्ध उत्पादक केन्द्र, जहां दुग्ध को जांचने के लिए महत्वूर्ण जांच उपकरणों जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, ऑवन, बी. आर मीटर आदि सुविधाओं से युक्त है। केमिस्ट तथा एमसीसी प्रमुखों के कौशल सुधार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

पद्धति के उन्नतीकरण जैसे अधिक दुग्ध आने वाले शीतलन केंद्रों पर अतिरिक्त डॉक और संग्रह की सुविधा, दुग्ध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए ऐफीजेरेशन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुग्ध शीतलन केंद्र की स्थापना जैसे - ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

### निदेशक (Directors)

श्री भंवरलाल जाट और श्रीमती कौशल यादव, कम्पनी के निदेशक के पद का कार्यकाल 19 सितम्बर, 2016 को समाप्त होने से सेवानिवृत हुए। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतु धन्यवाद देता है।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA के लागू होने

वाले प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती गीता देवी गुर्जर और श्रीमती कमला देवी को 19 सितंबर, 2016 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

### **बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुनः नियुक्ति**

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षक के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गों श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षकों के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में संरक्षक के मानदण्ड पूरे करने अथवा नहीं करने पर यह पाया गया कि कुल सदस्यों में से 59 प्रतिशत सदस्यों ने ही अपनी श्रेणी के आधार पर 31 मार्च, 2017 को दिये गये संरक्षकों के मानदण्डों को पूरा किया हैं। इसी प्रकार इन कुल 59 प्रतिशत सदस्यों में से क्रमशः 12 प्रतिशत श्रेणी-ए, 18 प्रतिशत श्रेणी-बी तथा 70 प्रतिशत श्रेणी-सी के हैं। जबकि उक्त श्रेणी ए, बी एवं सी के मध्य उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दुध की मात्रा का अनुपातिक प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान क्रमशः 55%, 25% एवं 20% था। इसी प्रकार बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षकों के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी-ए में 6, श्रेणी-बी में 3 तथा श्रेणी-सी में 2 निदेशक होती हैं। बोर्ड अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :-

#### **श्रेणी-ए के निदेशक**

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री भगवान सहाय एवं श्री बलदेव राम बेरवाल, कम्पनी के निदेशक, जिन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए आगामी आम सभा में सेवानिवृत होंगे और उनके स्थान पर श्रेणी बी में एक निदेशक नियुक्त होंगे तथा एक स्थान रिक्त रहेगा।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी ए के कुल चार निदेशक हो जायेंगे।

#### **श्रेणी-बी के निदेशक**

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री झूंगर सिंह राठौड़, कम्पनी के निदेशक, “श्रेणी बी” के प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत (Retire by Rotation) होने के लिये उत्तरदायी है और अपने आप को पुनः नियुक्ति के लिये प्रस्तुत करते हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने उनके पुनः नियुक्ति की अनुशंसा की है।

नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने श्री सुखपाल जाट, “श्रेणी बी” के प्रतिनिधि हैं को श्रेणी बी के रिक्त स्थान पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की छठी वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलझक हैं।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी बी के कुल दो निदेशक हो जायेंगे।

#### **श्रेणी-सी के निदेशक**

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निदेशक हैं इसलिये छठी वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी सी में कोई सेवानिवृति / चुनाव नहीं है।

#### **सदस्यता/वोटेदेने का अधिकार/अंश पूँजी**

31 मार्च, 2017 को प्रदत्त अंश पूँजी रु 30.72 करोड़ है, जबकि कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 1,12,460 सदस्य दर्शाये गये हैं। इस समीक्षा अवधि के दौरान 13,824 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नहीं करने के कारण निरस्त/समर्पित कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2017 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 1,379 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है तथा 19,902 सदस्यों की सदस्यता मापदण्ड पूरे नहीं करने के कारण रद्द/समर्पित कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 93,937 है। सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए अथवा श्रेणी बी अथवा श्रेणी सी (जो भी लागू हो) के संरक्षण मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें। जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

**बोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में दर्शाये गये 1,12,460 सदस्यों में से इस रिपोर्ट की तिथि को 38,852 सदस्यों को बोट करने का अधिकार है तथा 73,608 सदस्यों में से 19,902 सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई है और शेष 53,706 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान न्यूनतम 200 दिन में कम से कम 500 लीटर दुध की आपूर्ति नहीं करने के कारण छठी वार्षिक आम सभा में बोट करने का अधिकार नहीं है।

नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2017 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं, वे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लाभांश एवं छठी वार्षिक आमसभा में बोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।

#### **निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण ( Directors Responsibility Statement )**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2AA) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल इसके सदस्यों को सूचित करता है कि:-

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तरक्सियत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
- कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

#### **आंतरिक नियंत्रण पद्धति ( Internal Control System )**

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZF की अनुपालना में मैसर्स अरनेस्ट एवं यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया है जोकि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते हैं।

#### **अंकेक्षक (Auditors)**

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा योग्य होने के कारण उनकी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुनःनियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224(1बी) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

निदेशक मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

### कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2A) को कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़ा जाये के अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक के रूप में कुल मिलाकर रु. 60 लाख वार्षिक अथवा रु. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नहीं की है।

### ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनियम आय तथा निकासी

#### (Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(e) के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में इसे (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) कम्पनी नियम, 1988 के साथ पढ़ा जाये।

- (i) कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ii) विदेशी विनियम आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

### आभार (Acknowledgment)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते हैं, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डबलपर्मेंट बोर्ड, एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड बेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

वास्ते निदेशक मंडल

ह./-

( अनिल कुमार )

अध्यक्ष एवं निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 03 अगस्त, 2017

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

### सदस्यों के लिये स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन (Auditors' Report)

#### **वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट**

हमने पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2017 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

#### **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व**

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित विषयों एवं अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों (अकांउटिंग स्टैण्डर्ड) जैसा लागू हो तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व कम्पनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोर्मेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हैं।

इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

#### **अंकेक्षकों का दायित्व**

हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षक के मानकों एवं अधिनियम के अतंगति बने नियमों एवं अधिनियम की धारा 143(11) के तहत आदेश के अनुसार, अंकेक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। इन मानकों के लिये आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अंकेक्षण की योजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें जिससे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि वित्तीय लेखे सभी प्रकार के गलत तथ्यात्मक कथनों से मुक्त हैं।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकाशित तथ्यों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अपनाना शामिल है। अंकेक्षण के लिए चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कपटपूर्ण या गलती से दिये गलत तथ्यात्मक कथनों से संबंधित जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार करने हेतु अंकेक्षक इस प्रकार की जोखिम का निर्धारण करने के लिए कम्पनी के उन सभी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार करता है जो कम्पनी के वित्तीय लेखे तैयार कर उसके सही एवं उचित प्रस्तुतीकरण करने में आवश्यक हैं। साथ ही अंकेक्षण में लेखांकन के लिये प्रयोग की जा रही नीतियों की औचित्यता तथा कम्पनी के निदेशकों के लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ-साथ लेखों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य वित्तीय विवरण पर अंकेक्षण राय प्रकट करने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

#### **राय (Opinion)**

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, अधिनियम के तहत चाही गई सूचनाये देते हैं साथ ही 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएँ देते हैं।

## अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-  
 (अ) हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।  
 (ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें हैं जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।  
 (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिठ्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।  
 (द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप है।  
 (य) 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2017 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।  
 (र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट “अनुलग्नक अ” को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।  
 (ल) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएँ तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:-  
   i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये हैं जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो - वित्तीय विवरणों के नोट 27 को देखें।  
   ii. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।  
   iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण किए जाने वाली कोई भी राशि नहीं है।  
   iv. दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना S.O. 3407 (E) में परिभाषित विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स की दिनांक 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान जमा की गई पूँजी एवं लेनदेने के संबंध में कम्पनी ने वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण किया है और ऐसे प्रकटीकरण कम्पनी द्वारा बनाए गए खातों की पुस्तिका के अनुसार है। परन्तु, जैसा प्रबन्धन ने प्रस्तुत किया है, वित्तीय विवरण के नोट 33 में दर्शायी गई राशि रु. 33,945,000 गैर अनुज्ञाप्राप्त प्राप्तियाँ हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (“आदेश”) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्रों पर विवरण “अनुलग्नक ब” में दिया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्रों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगे जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थे जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमने विवरण “अनुलग्नक स” में दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकांउटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

## स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक-“अ”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 3(f) में निर्दिष्ट)

**कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2017 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागु करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

### अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (“दिशानिर्देश लेख”) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागु होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख-रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

## वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के खखरखाव से संबंधित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबन्धकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

## वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके, भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकता है।

## राय (Opinion)

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2017 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

**वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी**

**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**

**(पंजीयन संख्या : 101496W)**

**ह./-**

**जितेन्द्र अग्रवाल**

**पार्टनर**

**(सदस्यता संख्या : 87104)**

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

## स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक - “ब”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कम्पनी की अचल संपत्तियों के संबंध में :-

- अ. कम्पनी ने अचल संपत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बनारखे हैं।
- ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

स. हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी ने लीज पर ली गई भूमि पर भवन का निर्माण किया है और लीज अनुबन्ध कम्पनी के नाम से है।

(ii) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii) कम्पनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गांरंटी प्रदान नहीं की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vii) वैधानिक देय के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :-

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, वैट, सेस तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के कारण किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जैसा कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

ब. 31 मार्च, 2017 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।

स. आय कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं वैट, की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2017 को देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।

(viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण या उधार की वापसी अदायी में कोई चूक नहीं की है। कम्पनी ने सरकार से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।

- (ix) कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (ix) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (x) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।
- (xi) कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहां भी लागु हों, संबंधित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा संबंधित पक्षकारों के संपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।
- (xiv) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में पंजीकृत है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर-नकदी व्यवहार नहीं किये हैं अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत कम्पनी को पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकांउटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

## स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक - “स”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

1. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 15 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं हैं।
2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।
3. 31 मार्च, 2017 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।
4. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरुद्ध हो।
5. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

वास्ते एस. बी. बिल्हीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**31 मार्च, 2017 को आर्थिक चिट्ठा**

(रुपये ₹ में)

क्र.स.	विविधियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
अ.	समता एवं दायित्व			
	1. अंशधारकों का कोष			
	(अ) अंश पूँजी	3	307,248,400	228,047,300
	(ब) संचित एवं अधिशेष	4	292,329,957	180,775,620
			<u>599,578,357</u>	<u>408,822,920</u>
	2. आंवटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि		5,376,300	10,250,800
	3. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	233,972,742	225,583,738
	4. गैर-चालू दायित्व			
	(अ) स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	6	3,756,805	4,568,931
	(ब) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	96,591,974	86,612,091
			<u>100,348,779</u>	<u>91,181,022</u>
	5. चालू दायित्व			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	8	946,471,192	989,892,434
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	9	-	-
	(i) सूख एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			
	(ii) सूख एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		484,004,093	420,014,274
	(स) अन्य चालू दायित्व	10	40,241,600	49,442,062
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	11	-	42,894,991
			<u>1,470,716,885</u>	<u>1,502,243,761</u>
	<b>बोग</b>		<b>2,409,993,063</b>	<b>2,238,082,241</b>
ब.	संपत्तियाँ			
	1. गैर चालू संपत्तियाँ			
	(अ) स्थायी संपत्तियाँ			
	(i) मूर्त संपत्तियाँ	12अ	317,732,339	303,977,060
	(ii) अपूर्ण संपत्तियाँ	12ब	89,094,819	64,448,644
	(iii) प्रगति अधीन पूँजीगत कार्य	12स	44,334,363	63,707,964
	(ब) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	13	451,161,521	432,133,669
			7,446,638	2,001,258
			<u>458,608,159</u>	<u>434,134,927</u>
	2. चालू संपत्तियाँ			
	(अ) स्टॉक	14	104,839,616	82,485,442
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	15	1,089,085,709	1,086,822,743
	(स) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	16	734,242,382	611,504,641
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	19,825,558	20,860,461
	(य) अन्य चालू संपत्तियाँ	18	3,391,639	2,274,027
			<u>1,951,384,904</u>	<u>1,803,947,314</u>
	<b>बोग</b>		<b>2,409,993,063</b>	<b>2,238,082,241</b>

देवें, संलग्न नोट्स, जोकि विविध विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्तवे एवं बी. विल्हेल्मोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

ह./-

अनिल कुमार  
निदेशक

ह./-

मंजु जायेड  
निदेशक

ह./-

रत्न कुमार सिंह  
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./-

अनूप गुप्ता

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

ह./-

कपिल चतुर्वी

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : जयपुर

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

**प्रायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि का विवरण**

क्र.स. विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	(रुपये ₹ में) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
		10,590,927,224	8,427,938,193
1. व्यवसाय से आय	19	31,058,076	25,135,688
3. कुल आय (1+2)		<b>10,621,985,300</b>	<b>8,453,073,881</b>
4. व्यय			
(अ) खपत की गई सामग्रीयों की लागत	21	33,868,879	182,659,671
(ब) व्यवसायिक माल का व्यय	22	9,579,671,873	7,417,139,436
(स) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	23	(22,510,453)	(44,020,535)
(द) कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय	24	83,932,942	68,683,635
(ग) वित्त लागत	25	72,457,143	22,222,413
(र) मूल्य छाप एवं क्षति संबंधी व्यय	12	33,728,200	34,143,100
(ल) अन्य व्यय	26	672,094,505	573,171,485
कुल व्यय		<b>10,453,243,089</b>	<b>8,253,999,205</b>
5. कर से पूर्व लाभ(3-4)		168,742,211	199,074,676
6. कर व्यय			
(अ) चालू कर		58,000,000	71,000,000
(ब) स्थगित कर शुल्क/(जमा) (Deferred Tax Charge/(Credit))		(812,126)	(872,024)
शुद्ध कर व्यय		<b>57,187,874</b>	<b>70,127,976</b>
7. वर्ष का लाभ (5-6)		<b>111,554,337</b>	<b>128,946,700</b>
8. प्रति सभता अंश आयः	32		
(न्यूनतम मूल्य ₹.100/- प्रति शेयर)			
(अ) मूल		47.13	76.27
(ब) डायल्टेड		47.13	76.25

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि विरोधी विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के सदर्भ में  
वास्ते एस. बी. बिल्हीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह. /-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह. /-  
अनिल कुमार  
निदेशक

ह. /-  
मंजू जाखड़  
निदेशक

ह. /-  
रतन कुमार सिंह  
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह. /-  
अनुष गुप्ता  
कम्पनी सचिव  
स्थान : जयपुर  
दिनांक : 3 अगस्त, 2017

ह. /-  
कपिल पचौरी  
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण**

(रुपये ₹ में)

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	व्यवसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	कर से पूर्ण लाभ	168,742,211	199,074,676
	समावेशन के लिये :		
	वित्त लागत	72,432,002	21,018,532
	ब्याज से आय	(18,215,465)	(17,390,780)
	मूल्य हास तथा क्षति संबंधी व्यव	33,728,200	34,143,100
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्ण व्यवसायिक लाभ	256,686,948	236,845,529
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन हेतु समावेशन		
	स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(22,354,174)	(38,554,299)
	व्यापारिक देनदारियों में कमी/(वृद्धि)	(2,262,966)	(836,800,793)
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(419,546)	(3,636,691)
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	1,034,903	(13,044,851)
	अन्य दीर्घकालीन वायिच ये (कमी)/(वृद्धि)	9,979,883	-
	व्यापारिक देनदारियों में (कमी)/(वृद्धि)	63,989,818	101,149,059
	प्रावधारों में (कमी)/(वृद्धि)	-	(319,420)
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/(वृद्धि)	6,196,604	(38,283,320)
	व्यवसाय से उपयन/(कमी) रोकड़	312,851,469	(592,644,786)
	शुद्ध आय कर (मुआतान) / बापती	(78,473,604)	(59,128,632)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(कमी) (अ)	234,377,865	(651,773,418)
ब.	निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) जोकि		
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये हैं		
	अचल संपत्तियों पर पूँजीगत व्यव (प्राप्त पूँजीगत अनुदान का शुद्ध)	12,355,356	(16,961,289)
	प्राप्त व्याज	(44,367,047)	(104,469,823)
	निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(कमी) (ब)	17,097,854	21,291,885
	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:	(14,913,837)	(100,139,227)
स.	अंश पूँजी जारी करने से प्राप्तियाँ	68,950,300	73,928,400
	अंश आनंदन हेतु प्राप्त राशि	5,376,300	10,250,800
	दीर्घकालीन ऋणों का पुनर्जुटान	-	(62,960,000)
	कार्यशील पूँजी ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(43,421,242)	989,892,434
	लाभांश का शुगतान लाभांश कर सहित	(32,047,961)	(7,850,613)
	वित्त लागत मुआतान	(83,228,328)	(6,186,333)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह / (कमी) (स)	(84,370,931)	997,074,688
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह/(कमी) (अ+ब+स)	135,093,096	245,162,043
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	404,971,073	159,809,030
	वर्ष के समाप्तन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	540,064,169	404,971,073
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	438,246,241	290,707,541
	जमा खातों में	101,817,928	114,263,532
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	540,064,169	404,971,073
	जोड़ीय : बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये हैं	194,178,213	206,533,568
	चिन्हिण के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट 16)	734,242,382	611,504,641

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. विल्हेमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

₹/-

जिलेन्ड्र अग्रवाल

पार्टनर

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

₹/-  
अनिल कुमार  
निदेशक

₹/-  
अनन्त गुप्ता

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

वास्ते निदेशक भंडल एवं उनकी ओर से

₹/-  
मंजु जाखड़  
निदेशक

₹/-  
कपिल पच्छी

वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)

₹/-  
रत्न कुमार सिंह  
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

### नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

#### 1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (“कम्पनी”) का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं धी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरीफ्रैश एवं पशु के सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

#### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं:-

##### a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 133 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम 2013”)/कम्पनी अधिनियम 1956 (“अधिनियम 1956”) के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये हैं। एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि कम्पनीज अधिनियम, 1956 के भाग IX के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर उसी प्रकार लागू होंगे जब तक की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं कर दिया जाता है। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accrual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाइ गई लेखांकन नीतियों के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

##### b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों (अनिश्चित दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबन्धन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

##### c. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्ता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हे किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

##### d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाले राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किए गये राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

##### e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

##### f. अन्य आय

जमाओं पर ब्याज की आय को उपर्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

#### g. अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल संपत्तियों को उनकी लागत में से संचित हास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चों जो उस संपत्ति को बांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चों तथा संपत्ति क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे बांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल संपत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्चों जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

#### h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चों और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

#### i. मूल्य-हास तथा परिशोधन

मूर्त / अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य हास सम्पत्तियों के उपयोगी अस्तित्व पर सम्पत्तियों की प्रकृति, सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग, सम्पत्तियों की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन के अतीत का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौदयौगिक आश्वासन एवं रख-रखाव समर्थन आदि के आधार पर तकनीकी सलाह के अनुसार सीधी रेखा पढ़ति पर किया जाता है।

मूल्य-हास लगाने के लिये उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) निम्न प्रकार है:-

विवरण	उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)
बिलिंग	10
प्लांट एवं उपकरण	10
दूध के कैन	10
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	3
ऑफिस उपकरण	10
ट्रेड मार्क	5

मूल्य-हास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

सभी एकल संपत्तियाँ जिनकी लागत रु. 5,000/- या इससे कम है उन पर पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण मूल्य हास लगाया जाता है।

#### j. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग माल, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर एवं अप्रचलन एवं अन्य हानियाँ प्रदान करने के पश्चात् वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चों सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गये हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

#### k. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य-हास संबंधित स्थायी सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता है तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुये

लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटादिया जाता है।

### I. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

#### (a) निर्धारित योगदान योजनायें

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ-हानि खातों में दर्शाया जाता है।

#### (b) निर्धारित लाभ योजनायें

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतारी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

#### (c) अल्प-कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभावना है।

#### (d) दीर्घ-कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समाप्त के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

#### m. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूट्रेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात् के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशों की संख्या (एन्टी डायल्यूट्रेड समता की अंशों संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

#### n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर संपत्तियों की पहचान विभिन्न मर्दों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर-शोषित-मूल्य हास (Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए भविष्य में प्रयास भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य हास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती हैं तो प्रयास भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

#### **o. ऋण की लागत**

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता है। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण / विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूँजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूँजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता है। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्च मानकर लाभ-हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्च किया जाता है।

#### **p. संपत्तियों की क्षति से हानि**

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी संपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यथा मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा। संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

#### **q. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यवय**

एक प्रावधान तब माना जाता है जब कम्पनी को किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुगतान नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को लेखां नोट्स में दर्शाया जाता है।

#### **r. लीज**

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाओं उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ-हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

#### **s. महत्वपूर्ण घटनाओं**

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण समायोजन घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

#### **t. संचालन चक्र**

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2017 को स्थिति		31 मार्च 2016 को स्थिति	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
3.	अंश पूँजी				
(अ)	अधिकृत अंश पूँजी प्रति समता अंश राशि रु. 100/-	<u>3,500,000</u>	<u>350,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>300,000,000</u>
(ब)	जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी प्रति समता अंश राशि रु. 100/-	<u>3,072,484</u>	<u>307,248,400</u>	<u>2,280,473</u>	<u>228,047,300</u>

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :-

नोट :-

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कंपनी ने एक श्रेणी के रु. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का अधिकारी है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सामित्र प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों तथा अदत्त राशियों का मिलान:

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
	वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त अंश	2,280,473	228,047,300	1,541,189	154,118,900
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	792,011	79,201,100	739,284	73,928,400
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	<u>3,072,484</u>	<u>307,248,400</u>	<u>2,280,473</u>	<u>228,047,300</u>

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूँजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूँजी नहीं है।

**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।**

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
<b>4. संचित एवं अधिशेष</b>		
<b>(अ) सामान्य संचय</b>		
प्रारम्भिक शेष	180,775,620	79,276,141
जोड़िये : लाभ-हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित	81,970,581	101,499,479
अंतिम शेष	<u>262,746,201</u>	<u>180,775,620</u>
<b>(ब) लाभ-हानि विवरण में अधिशेष</b>		
प्रारम्भिक शेष	-	-
जोड़िये : वर्ष का लाभ	111,554,337	128,946,700
घटाइये :		
सदस्यों को (पिछले वर्ष ₹.10/- प्रति समता अंश)		
प्रस्तावित सीमित प्रतिफल (डीविडेंड)	-	22,804,730
प्रस्तावित सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) पर कर	-	4,642,491
सामान्य संचय में अंतरित	81,970,581	101,499,479
अंतिम शेष	<u>29,583,756</u>	<u>-</u>
	<u>292,329,957</u>	<u>180,775,620</u>
<b>5. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)</b>		
प्रारम्भिक शेष	225,583,738	150,498,473
वर्ष के दौरान पूँजीगत अनुदान का		
उपयोग (नोट 34 को देखें)	83,649,734	146,123,469
घटाइये : पूँजीगत अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों		
पर मूल्य ह्रास (नोट 12 को देखें)	75,260,730	71,038,204
अंतिम शेष	<u>233,972,742</u>	<u>225,583,738</u>

**प्रायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।**

(रुपये ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
<b>6. स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)</b>  (Deferred tax liability (Net))		
(i) उन मर्दों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का हिस्सा हैः		
(अ) अचल संपत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	3,756,805	3,462,248
(ब) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों तथा ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	-	1,257,081
	<b>3,756,805</b>	<b>4,719,329</b>
(ii) उन मर्दों का कर प्रभाव जो स्थगित कर संपत्तियों का हिस्सा हैः		
(अ) आयकर अधिनियम की धारा 35D के अंतर्गत अस्वीकृता	-	150,398
	<b>-</b>	<b>150,398</b>
<b>शुद्ध स्थगित कर दायित्व / (संपत्तियाँ)</b>	<b>3,756,805</b>	<b>4,568,931</b>
<b>7. अन्य दीर्घकालीन दायित्व</b>		
(अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियाँ	96,591,974	86,612,091
	<b>96,591,974</b>	<b>86,612,091</b>
<b>8. अल्पकालीन ऋण</b>		
(अ) असुरक्षित ऋण		
(i) बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	946,471,192	989,892,434
	<b>946,471,192</b>	<b>989,892,434</b>
<b>9. व्यापारिक देनदारियाँ</b>		
(अ) व्यापारिक देनदारियाँ (स्वीकृतियों को छोड़कर)		
(नोट 36 देखें)	484,004,093	420,014,274
	<b>484,004,093</b>	<b>420,014,274</b>

**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।**

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
<b>10. अन्य चालू दायित्व</b>		
(अ) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि एवं लौटाने योग्य	14,780,935	13,725,267
(ब) अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं	4,035,873	14,832,199
(स) अदत्त/बिना दावे का (Unclaimed) लांभाश	6,098,025	10,698,765
(द) वैधानिक देय (भविष्य निधि में योगदान, कर रोका हुआ, सेवा कर, वैट आदि)	5,487,737	5,343,005
(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	9,839,030	4,842,826
	<b>40,241,600</b>	<b>49,442,062</b>
<b>11. अल्पकालीन प्रावधान</b>		
(अ) प्रस्तावित सीमित लांभाश (डीविडेंड) हेतु प्रावधान	-	22,804,730
(ब) प्रस्तावित सीमित लांभाश (डीविडेंड) पर कर का प्रावधान	-	4,642,491
(स) आयकर हेतु प्रावधान (शुद्ध अग्रिम कर ₹. Nil, पिछले वर्ष ₹. 56,756,111)	-	15,447,770
	-	<b>42,894,991</b>

**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

**12. अवल संपत्तियाँ**

	विवरिति	सकल बलांक			संचित मूल्य इकाई / क्षति			शुद्ध बलांक	
		01 अप्रैल, 2016 को स्थिति	बुद्धि 31 मार्च 2017	01 अप्रैल, 2016 को स्थिति	वर्ष के लिये	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
(अ) <b>शुरू संगतियाँ (स्वयं की)</b>									
बिल्डिंग (पिछों वर्ष)	4,618,338 (3,190,183)	2,212,280 (1,428,155)	6,830,618 (4,618,338)	135,273 (8,879)	3,923,661 (126,394)	4,058,934 (135,273)	2,771,684 (4,483,065)	4,483,065 (3,181,304)	
फ्लांट एवं अवकाश (पिछों वर्ष)	336,712,872 (243,840,651)	83,613,115 (92,872,221)	420,325,987 (336,712,872)	88,702,945 (34,836,798)	45,286,154 (53,866,147)	133,989,099 (88,702,945)	286,336,888 (248,009,927)	248,009,927 (209,003,853)	
फ़ार्मिस तथा फिल्चर्स (पिछों वर्ष)	20,634,820 (13,887,088)	2,606,435 (6,747,732)	23,241,255 (20,634,820)	18,964,489 (363,728)	2,446,624 (18,600,761)	21,411,113 (18,964,489)	1,830,142 (1,670,331)	1,670,331 (13,523,360)	
आौफिस उपकरण (पिछों वर्ष)	6,318,933 (5,346,672)	139,110 (972,261)	6,458,043 (6,318,933)	1,213,432 (591,253)	605,273 (622,179)	1,818,705 (1,213,432)	4,639,338 (5,105,501)	5,105,501 (4,755,419)	
कम्युटर्स (पिछों वर्ष)	77,982,939 (40,226,952)	3,716,001 (37,755,987)	81,698,940 (77,982,939)	33,274,703 (11,526,272)	26,269,951 (21,748,431)	59,544,654 (33,274,703)	22,154,286 (44,708,236)	44,708,236 (28,700,680)	
बोग(अ)	446,267,902 (306,491,546)	92,286,941 (139,776,356)	538,554,843 (446,267,902)	142,290,842 (47,326,930)	78,531,663 (94,963,912)	220,822,505 (142,290,842)	317,732,339 (303,977,060)	303,977,060 (259,164,616)	
गत वर्ष									
(ब) <b>अपूर्व संगतियाँ (स्वयं के अलावा अन्य अवित्त)</b>									
कम्युटर एवं स्क्रीन्स (पिछों वर्ष)	78,333,236 (22,249,107)	55,103,442 (55,084,149)	133,436,698 (78,333,236)	13,916,163 (3,717,521)	30,439,267 (10,198,642)	44,355,430 (13,916,163)	89,081,268 (64,417,093)	64,417,093 (18,531,586)	
ट्रेड मार्क (पिछों वर्ष)	90,000 (90,000)	- (-)	90,000 (90,000)	58,449 (39,699)	18,000 (18,750)	76,449 (58,449)	13,551 (31,551)	31,551 (50,301)	
बोग(स)	78,423,256 (22,339,107)	55,103,442 (55,084,149)	133,526,698 (78,423,256)	13,974,612 (3,757,220)	30,457,267 (10,217,392)	44,431,879 (13,974,612)	89,094,819 (64,448,644)	64,448,644 (18,581,887)	
(स) <b>प्राप्ति अधीन पूँजीगत संपत्ति</b>									
बोग(स)	-	-	-	-	-	-	-	44,334,363 (63,707,964)	

## पायस मिल्क प्रोइयूस कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

नोट्स :

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
	(रुपये ₹ में)
(i) भूत्य कुल एवं क्रति संबंधी व्यव यह सम्पत्तियों पर आदृत सम्पत्तियों पर	78,531,663 30,457,267 75,260,730
घटाईः : अदान से खरीदी गई सम्पत्तियों पर धूत्य है	
	<u>33,728,200</u>
	<u>34,143,100</u>

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त सारणी में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट 34 को देखें):-

संपत्तियां	सकल बलांक			संचित भूत्य हस्त/क्रति			भूत्य बलांक		
	01 अप्रैल, 2016 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति	01 अप्रैल, 2016 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
पूर्ण संपत्तियां :-									
बिल्डिंग	3,190,183	-	3,190,183	11,5431	303,067	418,497	2,771,686	3,074,752	
प्लाट एवं उपकरण	111,390,126	38,613,909	150,204,036	27,753,670	18,599,523	46,353,193	103,850,843	83,836,456	
आग्निक उकड़ा	4,888,788	-	4,888,788	890,950	461,238	1,352,188	3,536,600	3,997,838	
फर्मिक तथा फिक्सर्स	17,493,851	2,281,382	19,775,233	16,860,392	2,326,514	19,186,906	588,327	633,459	
कम्प्यूटर्स	72,678,757	251,289	72,930,046	30,113,107	24,241,943	54,355,050	18,574,996	42,565,650	
आदृत संपत्तियां									
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	78,321,706	51,290,992	129,612,698	13,877,744	29,328,445	43,206,189	86,406,509	64,443,962	
चोग	288,163,411	92,437,572	380,600,984	89,611,293	75,260,730	164,872,023	215,728,961	198,552,118	

**प्रायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।**

(रुपये ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
<b>13. दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम</b> (असुरक्षित, उचित माने गये)		
(अ) प्रतिभूतिजमा	240,050	202,347
(ब) पूर्वदत्तव्य	381,843	-
(स) अग्रिम आयकर (प्रावधानों का शुद्ध रु. 58,000,000, पिछले वर्ष रु. Nil)	6,824,745	1,798,911
	<b>7,446,638</b>	<b>2,001,258</b>
<b>14. स्टॉक</b> (लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
(अ) तैयारमाल	50,053,321	33,938,581
(ब) स्टॉक इन ट्रेड	19,666,898	18,225,502
(स) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	34,611,532	29,657,215
(द) स्टोर्स तथा स्पेयर्स	507,865	664,144
	<b>104,839,616</b>	<b>82,485,442</b>
<b>15. व्यापारिक लेनदारियाँ</b> (असुरक्षित, उचित मानी गई)		
(अ) देयतिथि से 6 माह की कम अवधि के लिए बकाया	1,089,085,709	1,086,822,743
	<b>1,089,085,709</b>	<b>1,086,822,743</b>
<b>16. रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य</b>		
(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
(i) बैंक में जमा:		
(अ) चालू खातों में	438,246,241	290,707,541
(ब) जमा खातों में -वास्तविक परिपक्ता की अवधि तीन महीनों से कम	101,817,928	114,263,532
रोकड़ प्रवाह विवरण-रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेखा मानक 3 के अनुसार	<b>540,064,169</b>	<b>404,971,073</b>
(ब) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खाते में (वास्तविक परिपक्ता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	146,387,655	149,804,610
(ii) बैंक ऋण के सम्मुख प्रतिभूति के रूप में शेष	41,692,533	46,030,193
(iii) निर्धारित खातों में -अदत लाभांश खाते	6,098,025	10,698,765
	<b>734,242,382</b>	<b>611,504,641</b>

**नोट:**

- (i) बैंक में शेष राशि जमाओं सहित रु. 31,000,000 (पिछले वर्ष रु. शून्य) इस प्रकार की राशि है, जिसकी परिपक्ता अवधि आर्थिक विद्ये की तिथि से 12 माह से अधिक है।
- (ii) रु. 41,692,533 (पिछले वर्ष रु. 46,030,193) की सावधि जमा बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए प्रतिभूत की गई है।

**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।**

क्र.स.	विविधियाँ	31 मार्च 2017 को स्थिति	(रुपये ₹ में)
			31 मार्च 2016 को स्थिति
17.	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	44,110	60,430
	(ब) ग्रेचुटी फंड (दायित्वों का शुद्ध रु. 6,025,647, पिछले वर्ष रु. 3,782,730)	239,276	654,084
	(स) अवकाश का नकदीकरण फंड (दायित्वों का शुद्ध रु. 3,728,918, पिछले वर्ष रु. 2,017,832)	3,183,555	2,978,260
	(द) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	4,040,079	3,787,353
	(य) पूर्वदत्तव्य	2,488,372	1,097,216
	(र) वैट प्राधिकरण के पास शेष	7,024,450	3,517,367
	(ल) एन.डी.डी.बी. से प्राप्त अनुदान (नोट 34 देखें)	2,805,716	8,765,752
		<b>19,825,558</b>	<b>20,860,461</b>
18.	अन्य चालू संपत्तियाँ (असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) अर्जित ब्याज परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	3,391,639	2,274,027
		<b>3,391,639</b>	<b>2,274,027</b>
क्र.स.	विविधियाँ	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
19.	व्यवसाय से आय		
	(अ) उत्पादों की बिक्री		
	(i) सकल विक्रय	11,509,137,929	8,901,601,166
	(ii) घटाई : दुध प्रोसेसर को विक्रय (निर्दिष्ट नोट संख्या (i) देखें)	918,210,705	473,662,973
	(iii) शुद्ध विक्रय	<b>10,590,927,224</b>	<b>8,427,938,193</b>
नोट्स:	(i) दुध प्रोसेसरों को विक्रय का तात्पर्य कम्पनी द्वारा प्रोसेसिंग (Processing) एवं पैकिंग के लिए विभिन्न डेवरियों / संघों को आपूर्ति किया गया दुध है।		
	विक्रय किये गये उत्पाद		
	(ii) व्यावसायिक माल		
	(अ) कच्चा दुध	9,045,159,010	7,465,664,933
	(ब) पॉली पैक दुध	832,324,276	521,149,049
	(स) अन्य दूध उत्पादक	55,410,310	30,591,181
	(र) घी	197,456,153	-
	(य) पशु आहार	394,269,276	257,109,873
	(र) सोमेन	32,275,577	28,306,694
	कुल	<b>10,556,894,602</b>	<b>8,302,821,730</b>
	(iii) निर्मित माल		
	(अ) घी	34,032,622	125,116,463
	कुल	<b>34,032,622</b>	<b>125,116,463</b>
	योग (ii+iii)	<b>10,590,927,224</b>	<b>8,427,938,193</b>
20.	अन्य आय		
	(अ) ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	18,215,465	17,390,780
	(ब) अन्य गैर-व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	2,934,900	2,566,500
	(ii) दायित्व/प्रावधान वापिस किये गये	-	1,250,000
	(iii) विविध आय	9,907,711	3,928,408
		<b>31,058,076</b>	<b>25,135,688</b>

**प्रायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।**

(रुपये ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>21. खपत की गई सामग्रीयों की लागत</b>		
कच्चादुध	-	-
(अ) प्रारम्भिक स्टॉक	33,868,879	182,659,671
(ब) जोड़िये: क्रय	33,868,879	182,659,671
(स) घटाइये: अंतिम स्टॉक	-	-
	<b>33,868,879</b>	<b>182,659,671</b>
<b>22. व्यवसायिक माल का क्रय</b>		
(अ) कच्चादुध	7,975,931,027	6,342,241,951
(ब) पॉलीपैकदुध	855,602,223	507,622,720
(स) ची	214,826,839	-
(द) पशुआहार	373,206,921	259,506,699
(य) अन्य दूध उत्पाद	56,644,188	25,642,698
(र) सीमेन	33,680,482	26,396,232
(ल) संकलन संबंधी व्यय	10,460,965	195,243,055
(व) सदस्यों को इसेन्टिव	59,319,228	60,486,081
	<b>9,579,671,873</b>	<b>7,417,139,436</b>
<b>23. तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन</b> <b>तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में कमी / (वृद्धि)</b>		
(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	18,225,502	11,519,564
तैयार माल	33,938,581	1,700,288
स्टॉक इन ट्रार्जिट	29,657,215	24,580,911
	<b>81,821,298</b>	<b>37,800,763</b>
(ब) वर्ष के समाप्त वर्ष में स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	19,666,898	18,225,502
तैयार माल	50,053,321	33,938,581
स्टॉक इन ट्रार्जिट	34,611,532	29,657,215
	<b>104,331,751</b>	<b>81,821,299</b>
	<b>(22,510,453)</b>	<b>(44,020,535)</b>
<b>24. कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय</b>		
(अ) वेतन एवं मजदूरी	75,256,882	62,346,674
(ब) भविष्यत अन्य निधियों में योगदान	7,914,628	6,282,381
(स) कर्मचारी कल्याण व्यय	761,432	54,580
	<b>83,932,942</b>	<b>68,683,635</b>

**प्रायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।**

(रुपये ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>25. वित्त लागत</b>		
(a) ब्रण पर व्याजव्य	72,432,002	21,018,532
(b) आयकर भुगतान में विलम्ब पर व्याज	25,141	1,203,881
	<b>72,457,143</b>	<b>22,222,413</b>
<b>26. अन्यव्यय</b>		
(a) स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	2,973,675	4,381,792
(b) पॉवर एवं फ्लूल	1,626,867	1,480,191
(c) दुध अवशीतन शुल्क	102,018,269	88,648,353
(d) किराया	4,897,334	3,929,100
(e) दरतथाकर	1,190,258	818,355
(f) मरम्मत एवं रख-रखाव - भवन	3,828,815	3,366,446
(g) मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	20,246,256	21,190,676
(h) मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य	1,375,142	2,586,723
(i) विज्ञापन एवं व्यापार संबद्धन	28,165,809	27,879,771
(j) भाड़ा, अप्रेषण एवं वितरण व्यय	372,630,366	305,757,706
(k) बीमा शुल्क	2,871,992	2,393,603
(l) विधिक एवं पेशेकर शुल्क	26,902,161	26,195,245
(m) अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	1,307,033	1,259,292
(n) यात्रा एवं परिवहन व्यय	16,777,565	13,690,709
(o) प्रशिक्षण व्यय	2,759,768	1,666,882
(p) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	63,590,709	52,536,537
(q) संप्रेषण व्यय	7,274,048	5,414,940
(r) विविध व्यय	11,658,438	9,975,164
	<b>672,094,505</b>	<b>573,171,485</b>
<b>नोट:</b>		
(i) अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल हैं:		
(अ) वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	850,000	800,000
(ब) कर अंकेक्षण शुल्क	175,000	150,000
(स) खर्चों की प्रतिपूर्ति	111,550	145,670
(द) उपरोक्त पर सेवाकर	170,483	163,622
	<b>1,307,033</b>	<b>1,259,292</b>

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

### नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
------------------------	----------------------------	----------------------------

**27. आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धताएँ****अ. आकस्मिक दायित्व****(a) कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**

(i) मुकदमों के अंतर्गत उपभोक्ता दावे

836,500

-

**ब. प्रतिबद्धताएँ**

पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष सविदा

के अनुमानित राशि और प्रदान नहीं किया गया (शुद्ध अग्रिमों का भुगतान रु. NIL)

11,545,749

-

28. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 3 अगस्त, 2017 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रु. 24,579,872 (रु. 8 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है। समता लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा तथा वित्तीय विवरणों के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित समता लाभांश पूर्ण प्रदत्त अंशों के सभी धारकों को देय है। कुल समता लाभांश और उस पर टैक्स की राशि क्रमशः रु. 24,579,872 और रु. 5,003,884 है।

29. कम्पनी ने अपने सदस्यों से रु. 5,376,300 की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष 20 जून, 2017 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आंचल कर दिया गया है।

**30. कर्मचारी लाभ योजनाएँ****निर्धारित योगदान योजनाएँ**

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनाएँ प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कम्पनी दोनों ही पूर्व निर्धारित योगदान भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा करते हैं। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक नियमित अनुपात में होते हैं।

कम्पनी ने रु. 5,198,617 (पिछले वर्ष रु. 4,638,675) की राशि को लाभ-हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

**निर्धारित लाभ योजना**

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्यूटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाएँ कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के बर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्यूटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। ग्रेच्यूटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्टेड थूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्यूटी तथा विरीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

(राशि ₹ में)

क्र.स. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
i. निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,782,730	1,983,971
ब्याज लागत	253,748	157,726
चालू सेवा लागत	1,761,120	1,415,480
लाभ का भुगतान	(825,810)	-
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,053,859	225,553
वर्ष के समापन पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	<b>6,025,647</b>	<b>3,782,730</b>
ii. योजना संपत्तियों का उचित मूल्य		
वर्ष के प्रारंभ में योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	4,436,814	1,664,551
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	411,378	276,801
योगदान	2,301,303	2,617,210
लाभ का भुगतान	(825,810)	-
योजना सम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(58,762)	(121,748)
वर्ष के समापन पर योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	<b>6,264,923</b>	<b>4,436,814</b>
iii. योजना संपत्तियों पर आय		
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	411,378	276,801
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(58,762)	(121,748)
योजना संपत्तियों पर वास्तविक आय	<b>352,616</b>	<b>155,053</b>
iv. चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि		
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6,025,647	5,581,489
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	6,264,923	7,209,077
चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व / (संपत्ति)	<b>(239,276)</b>	<b>(1,627,588)</b>
v. लाभ-हानि विवरण में स्वीकृत खर्च		
वर्तमान सेवा लागत	1,761,120	1,415,480
ब्याज व्यय	253,748	157,726
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	(411,378)	(276,801)
वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध (लाभ) / हानि	1,112,621	347,301
लाभ/हानि खाते में स्वीकृत व्यय	<b>2,716,111</b>	<b>1,643,706</b>
vi. चिट्ठे का मिलान		
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	(654,084)	(654,084)
उपरोक्तानुसार व्यय	2,716,111	1,643,706
योगदान	(2,301,303)	(2,617,210)
वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	<b>(239,276)</b>	<b>(1,627,588)</b>

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्यूटी योजना के दायित्वों को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारे में सूचना सामूहिक ग्रेच्यूटी कोष में विनियोग पद्धति के सन्दर्भ में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चों हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चों की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

#### vii. मुख्य बीमांकिक अनुमान

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
बट्टे की दर	7.53 % वार्षिक	7.95% वार्षिक
अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00 % वार्षिक	10.00% वार्षिक
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	7.95% वार्षिक	9.00% वार्षिक
संघर्षण दर (Attrition rate)		
30 वर्ष से कम	3%	3%
आयु 31 से 44 वर्ष	2%	2%
आयु 44 और इससे अधिक	1%	1%
प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	आई.ए.एल.	आई.ए.एल.
(Mortality table used)	(2006-08)	(2006-08)
	(अन्तिम)	(अन्तिम)

बट्टे की दर आर्थिक चिठ्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित प्रतिबद्धताओं की अनुमानित अवधि के लिये बाजार लाभ पर निर्भर करती है। भविष्य में अनुमानित वेतन वृद्धि मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोनस्तियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

#### viii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के लिये बीमांकिक अनुमान

उपरोक्त vii के समान मुख्य बीमांकिक अनुमानों का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

#### ix. अनुभव समायोजन

	31.03.2017 (रूपये में)	31.03.2016 (रूपये में)	31.03.2015 (रूपये में)	31.03.2014 (रूपये में)
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6,025,647	3,782,730	1,983,971	742,347
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	6,264,923	4,436,814	1,664,551	901,913
पोषित स्थिति	(239,276)	(654,084)	319,420	(159,566)
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(1,053,859)	(225,553)	(166,013)	2,688
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	(58,762)	(121,748)	(30,661)	(30,907)

### 31. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज़ व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज़ किराया संबंधी रु. 48,97,334 (पिछले वर्ष रु. 39,29,100) के खर्चों को लाभ-हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 8 वर्ष तथा 8 माह के लिए की गई है जो 6 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज़ के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रावधान है। कलस्टर एवं बिन्दायक कार्यालय की लीज़ क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज़ का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। अन्य कार्यालय परिसर का 11 महिने की अवधि के लिये किरायेनामा है, जिसे केवल Lessee द्वारा Lessor की अनुमति से निरस्त किया जा सकता है।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2017 को स्थिति	31 मार्च 2016 को स्थिति
एक वर्ष बाद देय नहीं	4,293,025	4,238,724
एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नहीं	10,262,864	9,603,045
पांच वर्ष बाद देय	1,573,775	5,564,850
	<b>16,129,664</b>	<b>19,406,619</b>

### 32. प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	इंकाइ	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष पर
कर के पश्चात शुद्ध लाभ	रूपये	111,554,337	128,946,700
वर्ष के दौरान भारित औसत अदर			
समता अंशों की संख्या	संख्या	2,366,859	1,690,681
प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रूपये	100	100
प्रति अंश मूल आय	रूपये	47.13	76.27
प्रति अंश डायल्टोड आय की गणना हेतु			
प्रयोग किये गये समता अंश	संख्या	2,367,017	1,690,997
प्रति अंश डायल्टोड आय	रूपये	47.13	76.25

## पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

### नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

#### 33. विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर प्रकटीकरण

MCA की अधिसूचना G.S.R. 308 (E) दिनांकित 30 मार्च, 2017 के अनुसार परिभाषित विनिर्दिष्ट नोटों एवं अन्य संप्रदाय नोट, जो 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान घारित और संव्यवहार किए गये, का प्रकटीकरण निम्न अनुसार है:

विवरण	विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBN) रूपये	अन्य अभिदान नोट्स रूपये	योग रूपये
(अ) 8 नवम्बर, 2016 को हस्तगत अंतिम रोकड़	625,500	258,281	883,781
(ब) जोड़िये: अनुज्ञाप्राप्ति	-	47,051,471	47,051,471
(स) जोड़िये: गैर अनुज्ञाप्राप्ति (नोट नीचे देखें)	33,945,000	-	33,945,000
(द) घटाईये: अनुज्ञाप्राप्ति संदाय	-	-	-
(य) घटाईये: बैंकों में जमा की गई राशि	34,570,500	47,086,092	81,656,592
(र) 30 दिसम्बर, 2016 को हस्तगत अंतिम रोकड़	-	223,660	223,660

नोट: इन विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBN) को सीधे कम्पनी के बैंक खातों में वितरकों / उपभोक्ताओं द्वारा जमा किया गया है। जमा मुद्रा के विवरण के अभाव में, एस.बी.एन. के सम्बन्ध में कम्पनी ने बैंकों के प्रमाणिकरण पर विश्वास किया है।

#### 34. सरकारी अनुदानों का विवरण

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष पर
नेशनल डेयरी फ्ललपमेंट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:-		
(अ) प्रारंभिक शेष	(8,765,752)	69,773,568
(ब) वर्ष के दौरान प्राप्त	181,775,631	199,186,029
	173,009,880	268,959,597
(स) वर्ष के दौरान उपयोग		
(i) पूंजीगत संपत्तियों के लिये		
- अचल संपत्तियों के लिये	83,631,551	122,528,633
- संपत्तियाँ जो स्थापना के अंतर्गत	18,183	23,594,836
	83,649,734	146,123,469
(ii) आयगत व्यय के लिये	92,165,862	131,601,879
कुल उपयोग (i)+(ii)	175,815,596	277,725,348
(द) शेष को आगे ले गये (अ+ब-स)	2,805,716	(8,765,752)

नोट: पूंजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है तथा आयगत अनुदान के उपयोग को उससे संबंधित खर्चों में समायोजित कर दिया गया है (देखें नोट 2.k)

35. लेखा-मानक AS-18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” का विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	व्यक्ति का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी(के.एम.पी)	रतन कुमार सिंह

(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन-देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है:-

विशिष्टियाँ	मुख्य प्रबंधक अधिकारी(के.एम.पी)	(राशि ₹ में)
प्रबंधक पारिश्रमिक :-		योग
रतन कुमार सिंह	4,415,100 (4,220,500)	4,415,100 (4,220,500)
अनिल कुमार माथुर	- (703,417)	- (703,417)

कोष्ठक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

36. प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी राशि बकाया नहीं है।
37. कम्पनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबंधित है जिसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। कम्पनी भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है। चूंकि कम्पनी एक व्यावसायिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए लेखा मानकों AS-17 के अनुसार खण्ड सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।
38. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत / पुनः एकत्र किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-
अनिल कुमार निदेशक	मंजु जाखड़ निदेशक	रतन कुमार सिंह निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ह./-	ह./-	
अनुप गुप्ता कम्पनी सचिव	कपिल पचौरी वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)	

स्थान : जयपुर

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

## सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की छठी वार्षिक आम सभा सोमवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 पर निम्न कार्यों के लिये होगी:-

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा उस अवधि की डायरेक्टर रिपोर्ट व ऑफिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।
2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रु. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लाभ में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 30,72,484 समता अंशों पर रु. 2,95,83,756/- (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स रु. 50,03,884/- शामिल है) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये देने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2017 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है”

3. श्री इंगर सिंहराठोड़ (DIN No.06939769), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।
4. कम्पनी के वैधानिक लेखा अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निधीरित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को रूपये 11.80 लाख (अक्षरे यारह लाख अस्सी हजार रूपये) पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।

5. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।
6. श्री सुखपाल जाट को निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश), श्री सुखपाल जाट (DIN-06362918) जो कम्पनी के “श्रेणी

बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।”

7. तृतीय वार्षिक आम सभा में पारित सामान्य प्रस्ताव संख्या 11/2014-15 में आंशिक संशोधन करने का अनुमोदन करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

“दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को आयोजित हुई अंशधारकों की तृतीय वार्षिक आम सभा में प्रस्ताव संख्या: 11/2014-15 में आंशिक संशोधन से कम्पनी की नामांकन समिति के गठन के लिये दिशा निर्देशों के अनुच्छेद संख्या 5(ii) के स्थान पर प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्था या संस्थान, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया हो, का एक विशेषज्ञ; और को रखे जाने के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

कम्पनी सचिव को सभी कार्यवाही, डीड, मामलों और वस्तुओं के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक है।”

8. कम्पनी के अंतर्नियम में संशोधन करना

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581-ZR तथा अगर कोई है, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 31 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिनियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान कंपनी अंतर्नियमों को जहां तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

वर्तमान अनुच्छेद 4.3 (ii) को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये :-

4.3. (ii) इसके अतिरिक्त, सदस्य सदस्यता जारी रखने के लिए योग्य नहीं होगा यदि

- (a) सदस्य, जो किसी प्रकार का व्यवसायिक हित रखता हो जोकि कम्पनी के व्यवसाय के प्रतिकूल हो।
- (b) सदस्य जो किसी ऐसे कृत्य में शामिल है/शामिल हो रहा है, जो कि कम्पनी के कार्य के लिए हानिकारक है या जिसने कम्पनी के हित एवं प्रतिष्ठा की क्षति की है या कर सकता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को आवश्यक फॉर्म रजिस्ट्रर ऑफ कम्पनीज के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./-

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज अंतिम रूप से मान्य होंगे।

## टिप्पणी:-

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।
2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
3. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वर्गीकृत करने का मापदंड प्रथम वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया है।
4. सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार:-  
दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2016-17), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 1,12,460 सदस्य दर्शाये गये हैं, जिनका श्रेणी वर्गीकरण, वित्तीय वर्ष 2016-17 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:-  
 (a) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, “श्रेणी ए” के 7,420 सदस्य, “श्रेणी बी” के 10,298 सदस्य और “श्रेणी सी” के 13,752 सदस्य (कुल 31,470 सदस्य) जिन्होंने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तों के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तों को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 8, इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होंगे।  
     (नोट- कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (“श्रेणी ए” अथवा “श्रेणी बी” अथवा “श्रेणी सी”) के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है।)  
 (b) 7382 सदस्य जिन्होंने कम्पनी की आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होंने अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूरा नहीं किया है तथा जिन्होंने कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तों को भी पूरा नहीं किया है और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3 एवं 6) पर वोट नहीं कर सकते हैं परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 4, 5, 7 और 8 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं।  
 (c) कुल 73,608 सदस्यों में से 19902 सदस्यों की सदस्यता 31 मार्च, 2017 के पश्चात निरस्त कर दी गई और बाकी 53706 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध

- की आपूर्ति नहीं की जिसके कारण उन्हें सूचना पत्र की किसी भी मद पर वोट करने का अधिकार नहीं है।
- (d) उपरोक्त उपवाक्य (a), (b), (c) में दर्शाये गये कुल 1,12,460 सदस्यों (31470+7382+73608) में से 19902 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2017 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए ऐसे 19902 सदस्य कम्पनी की आम सभा में भाग नहीं ले सकते और वोट भी नहीं कर सकते हैं। हांलाकि वे वित्तीय वर्ष 2016-17 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होंगे।
  - (e) दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 1379 नये सदस्य जोड़े गये हैं, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लाभांश के पात्र नहीं होंगे एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है।
  - (f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुग्ध संकलन केन्द्र के अनुसार छठी वार्षिक आम सभा के स्थान पर उपलब्ध होगी।
  - (g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससे सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सके, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।
5. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:-
- (अ) निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण।
  - (ब) दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को सम्पन्न हुई पाँचवीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
  - (स) 31 मार्च, 2017 को अंकेश्वित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाते के साथ निदेशकों का प्रतिवेदन तथा ऑडिटर रिपोर्ट।
  - (द) वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट।
6. मद संख्या 6 से 8 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्थापित करने के लिए व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) सूचना पत्र के साथ संलग्न है।
7. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।
8. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर बैठक में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।
9. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें। कम्पनी द्वारा इनकी प्रति आम सभा के स्थान पर नहीं दी जायेगी।
10. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में छठी वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करें।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।
13. सदस्य जिन्होंने अपना नामिती फार्म कम्पनी को जमा नहीं करवाया है वे नामिती फार्म भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें। नामिती फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

14. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205A तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के अनुसार लाभांश की राशि का उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित कर दी जायेगी।
15. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।

**कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA (4)(c) के अनुसार निवेशक पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की योग्यताओं संबंधी विवरण।**

#### **कार्यसूची सं. 3 और 6**

1. श्री द्वंगर सिंह राठौड़, (श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं) वाणिज्य में स्नातकोत्तर है। वह कृषि एवं दुध उत्पादन कार्यों में है।
2. श्री सुखपाल जाट, (श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं) विज्ञान एवं विधि में स्नातक है। वह कृषि एवं दुध उत्पादन कार्यों में है।

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./-

(अनूपगुप्ता)

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

## व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 3 अगस्त, 2017 में दी गई मद संख्या 6 से 8 से संबंधित)

### **मद संख्या : 6**

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्री भगवान सहाय एवं श्री बलदेव राम बेरवाल, कम्पनी के निदेशक, जो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के पश्चात आगामी आम सभा में सेवानिवृत होंगे।

दिनांक 21 जुलाई, 2017 को हुई नामांकन समिति की बैठक में नामांकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री सुखपाल जाट (श्रेणी बी के प्रतिनिधि) को निदेशक पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री सुखपाल जाट, जिनकी योग्यता विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA(4)(C) के अनुसार, इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण कम्पनी के निदेशक मंडल में श्रेणी - बी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उन्हे नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।

श्री सुखपाल जाट, के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, मद संख्या 6 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव को जैसा कि सूचना पत्र में वर्णित किया गया है, सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

### **मद संख्या : 7**

नामांकन समिति में वांछीय विशेषज्ञ की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों/प्रस्ताव में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। ऐसे कई संस्थान हैं जिन्होंने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तथा यह आवश्यक है कि नामांकन समिति में ऐसे संस्थानों के विशेषज्ञों के व्यावहारिक अनुभव का लाभ लिया जायें। इसलिए संस्थान जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया हो, का एक विशेषज्ञ, को कम्पनी की नामांकन समिति के गठन में शामिल करने की अनुशंसा की जाती है।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव में कोई भी संशोधन, कम्पनी की आम सभा में सामान्य प्रस्ताव पारित करके संशोधित एवं अंगीकृत किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशकों/अधिकारियों या उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति हेतु संलग्न किए गए सूचना पत्र की मद सं. 7 में वर्णित सामान्य प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

### **मद संख्या : 8**

सदस्यों के बीच अनुशासन उत्पन्न करने एवं उत्पादक कम्पनी को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कम्पनी ऐसे सदस्य जोकि बाहरी प्रभाव से कम्पनी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनसे स्वयं को बचा सके। ऐसे सदस्य जोकि इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित हैं, को हतोत्साहित करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में कम्पनी के अंतर्नियम में संशोधन कर निदेशक मंडल को मजबूत बनाया जायें।

कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों में कुछ नये प्रावधानों को शामिल करने के साथ-साथ कुछ वर्तमान अनुच्छेदों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है इसलिए, विशेष प्रस्ताव में प्रस्तावित बदलावों के विवरणों की अनुशंसा की जाती है।

आगे, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581-I(1) की आवश्यकता के अनुसार, कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव न्यूनतम दो-तिहाई निर्वाचित निदेशकों या न्यूनतम एक-तिहाई उत्पादक कम्पनी के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, और इस प्रकार के प्रस्तावों को कम्पनी के शेयरधारकों की आमसभा में विशेष प्रस्ताव के द्वारा सदस्यों द्वारा अंगीकृत किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशकों/अधिकारियों या उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति हेतु संलग्न किए गए सूचना पत्र की मदसं. 8 में वर्णित विशेष प्रस्ताव की अनुसंशा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./-

(अनूपगुप्ता)

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 3 अगस्त, 2017

पंजीकृत कार्यालयः

प्रायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

डी-232, 233, चौथी मंजिल,

अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर,

जयपुर-302 021 (राजस्थान)

दूरभाष नं. 91-141-2352736,

Email : [info@paayasmilk.com](mailto:info@paayasmilk.com), [www.paayasmilk.com](http://www.paayasmilk.com)

## प्रायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

**स्थान:** स्वप्नलोक रिसॉर्ट्स, गाँव-सांझरिया, वाया-वाटिका सिटी (ठिकरिया), जयपुर-अजमेर हाईवे, जयपुर,  
राजस्थान में सदस्यों की पाँचवी वार्षिक आम सभा, दिनांक 19 सितम्बर, 2016 समय प्रातः 11:00 बजे को सम्पन्न हुई<sup>1</sup>  
जिसकी कार्यसूची का विवरण निम्न है:-

**बैठक में उपस्थित सदस्य :-**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. श्री अनिल कुमार        | - अध्यक्ष एवं अंशधारक        |
| 2. श्री भगवान सहाय        | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 3. श्री बलदेव राम बेरवाल  | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 4. श्री भंवरलाल जाट       | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 5. श्री दूँगर सिंह राठौड़ | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 6. श्रीमती मंजू जाखड़     | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 7. श्रीमती ममता चौधरी     | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 8. श्री सेडमल शर्मा       | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 9. श्री जय सिंह राठौड़    | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 10. श्री मेवाराम बैरवा    | - निदेशक एवं अंशधारक         |
| 11. डॉ. ओमवीर सिंह        | - विशेषज्ञ निदेशक            |
| 12. डॉ. सी.एल. दाधीच      | - विशेषज्ञ निदेशक            |
| 13. श्री श्रीराम सिंह     | - विशेषज्ञ निदेशक            |
| 14. श्री रतन कुमार सिंह   | - मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक |
| 15. श्री अनूप गुप्ता      | - कम्पनी सचिव                |

230 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 33614 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।

- (अ) श्री अनिल कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की।  
 (ब) कम्पनी सचिव से सुनिश्चित करने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने कोरम पूर्ण की घोषणा की। कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर एवं निदेशक मंडल की समता अंश पूंजी के विवरण का रजिस्टर जांच के लिए उपस्थित था तत्पश्चात सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।  
 (स) अध्यक्ष महोदय ने पाँचवी वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।  
 (द) उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से पाँचवी वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।  
 (य) तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।  
 तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।  
 1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा उस अवधि की डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑफिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।  
 1.1 श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने लेखों पर ऑफिटर रिपोर्ट को पढ़ा। तत्पश्चात सदस्यों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर विचार-विमर्श किया।

- 1.2 श्री सीताराम (फोलियो संख्या: 2414) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 1/2016-2017-पाँचवी आम सभा /19.09.2016**  
“दिनांक 31 मार्च, 2016 को कम्पनी की अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता तथा उसकी अनुसुचियों के साथ, उस पर निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है”  
श्री इन्द्रपाल जाट (फोलियो संख्या: 25132) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
2. कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।  
2.1 श्री गिरधर सिंह (फोलियो संख्या: 65674) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 2/2016-2017-पाँचवी आम सभा /19.09.2016**  
“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रु. 10/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लाभ में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 22,80,473 समता अंशों पर रु. 2,74,47,221/- (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स रु. 46,42,491/- शामिल है) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये देने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है”  
श्री कृष्ण कुमार (फोलियो संख्या: 7338) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
3. श्रीमती मंजू जाखड़ (DIN No.06441908), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं।  
3.1 श्रीमती मंजू देवी (फोलियो संख्या: 12056) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 3/2016-2017-पाँचवी आम सभा /19.09.2016**  
“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती मंजू जाखड़ (DIN No.06441908), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” का प्रतिनिधित्व करती है, कम्पनी निदेशक जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है”  
श्री उमा शंकर शर्मा (फोलियो संख्या: 24876) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।  
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
4. कम्पनी के वैधानिक लेखा अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारित करना।  
4.1 श्री रंगा राम गुर्जर (फोलियो संख्या: 22912) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-  
**प्रस्ताव संख्या 4/2016-2017-पाँचवी आम सभा /19.09.2016**  
“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुडगाँव, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को रूपये 8.50 लाख (अक्षरे आठ लाख पचास हजार रूपये) पारिश्रमिक एवं लागू होने

वाले सेवाकर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।”

श्री नरेन्द्र पाल धाकड़ (फोलियो संख्या: 14166) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**5. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2016-2017 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।**

5.1 श्री मनीष (फोलियो संख्या: 62168) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 5 / 2016-2017-पाँचवी आम सभा / 19.09.2016**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट को वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा एवं एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

श्री महेन्द्र कुमार जाट (फोलियो संख्या: 52852) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**6. श्रीमती गीता देवी गुर्जर को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगी।**

6.1 श्री अशोक चौधरी (फोलियो संख्या: 44513) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 6 / 2016-2017-पाँचवी आम सभा / 19.09.2016**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी के प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), श्रीमती गीता देवी गुर्जर (DIN-07573959) जो “श्रेणी ए” का प्रतिनिधित्व करती है, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगी।”

श्री कैलाश चन्द सैन (फोलियो संख्या: 17211) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**7. श्रीमती कमला देवी को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगी।**

7.1 श्रीमती सोनी देवी (फोलियो संख्या: 76829) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 7 / 2016-2017-पाँचवी आम सभा / 19.09.2016**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी के प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), श्रीमती कमला देवी (DIN-05358651) जो “श्रेणी बी” का प्रतिनिधित्व करती है, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगी।”

श्री दिलीप कुमार शेषमा (फोलियो संख्या: 27764) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**8. कम्पनी की अधिकृत शेयर पूँजी में वृद्धि करने पर विचार करना।**

श्रीमहेश (फोलियो संख्या: 15690) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 8 / 2016-2017-पाँचवी आम सभा / 19.09.2016**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR तथा अगर कोई हैं, तो कम्पनी अधिनियम के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, रु 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 5,00,000 (पाँच लाख) समता अंश लाकर कम्पनी की अधिकृत शेयर पूँजी को रु 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 30,00,000 (तीस लाख) समता अंशों में विभाजित रु 30,00,00,000 (तीस करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 35,00,000 (पैंतीस लाख) समता अंशों में विभाजित रु 35,00,00,000 (पैंतीस करोड़ रुपये) किया जाए।

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के बहिर्नियमों में पुनर्संज्ञायांकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

“VI. कम्पनी की अधिकृत शेयर पूँजी रु. 35,00,00,000 (पैंतीस करोड़ रुपये) है, जो रु 100/- (एक सौ रुपये) प्रति शेयर के 35,00,000 (पैंतीस लाख) शेरयों में विभाजित है।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अथवा कम्पनी सचिव को आवश्यक फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्रीरामकिशोर (फोलियो संख्या: 47215) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**9. उचित बाजार मूल्य के आधार पर प्रीमियम के साथ अंशों के निर्गमन पर विचार कर अनुमोदन करना।**

श्रीलालाराम (फोलियो संख्या: 12459) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 9 / 2016-2017-पाँचवी आम सभा / 19.09.2016**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 6.4 तथा कम्पनी अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A तथा कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार (समय-समय पर किये गये परिवर्तनों एवं संशोधनों के साथ लागू होने वाले) तथा ऐसे अन्य अनुमोदन, सहमतियां, अनुमतियां, स्वीकृतियों के साथ कम्पनी के सदस्य, निदेशक मंडल को भविष्य में उचित मूल्यांकन पद्धति से निर्धारित उचित बाजार मूल्य के आधार पर इस प्रकार के प्रतिफल के लिए, लागू होने वाले नियमों के अनुसार जिनमें कम्पनी अधिनियम तथा आयकर अधिनियम सम्मिलित है, निदेशक मंडल को प्रीमियम के साथ अंश जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, निदेशक मंडल को प्रीमियम सहित अंशों के निर्गमन तथा आंवटन करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलों में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा इस प्रस्ताव के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड़, मामलों और वस्तुएं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझता है, के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि निदेशक मंडल को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या

कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों या अधिकारियों की समिति को प्रत्यायोजन करने के लिए अधिकृत किया जाता है”

श्रीराम कुंवर (फोलियो संख्या: 49043) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

## 10. कम्पनी के अंतर्नियम में संशोधन पर विचार करना।

### 10.1 श्री पिरधारी (फोलियो संख्या: 56825) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 10 / 2016-2017-पाँचवी आम सभा / 19.09.2016**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधारों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधारों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधारों सहित पुनः-अध्यादेश अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधारों, वर्तमान कंपनी अंतर्नियमों को जहां तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

- (1) वर्तमान अनुच्छेद 8.1 को हटा दिया जाये, और नीचे दिये अनुसार नये अनुच्छेद 8.1 को रूपांतरित किया जाये:
- 8.1. यह आश्वस्त होने पर कि कोई सदस्य, सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रहा, बोर्ड उस सदस्य को अपने शेयर कम्पनी को सममूल्य या बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये अन्य मूल्य पर समर्पण करने को निर्देश देगा।
- (2) वर्तमान अनुच्छेद 9.7 (i) एवं (ii) को हटा दिया जाये, और नीचे दिये अनुसार नये अनुच्छेद 9.7 को रूपांतरित किया जाये:
- 9.7 बोर्ड में रिक्तता को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को सहयोगित कर सकता है और अगर बोर्ड नियुक्ति के समय निर्णय लेता है, ऐसे अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा या उसे कम अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।
- (3) वर्तमान अनुच्छेद 9.18 ii (i) को पुनर्संख्यांकित करके अनुच्छेद 9.18 ii (m) पढ़ा जाये; और निम्नलिखित नये अनुच्छेद 9.18 ii (i) को पुनर्संख्यांकित अनुच्छेद 9.18 ii (m) के तुरंत पहले रखा जाये।
- 9.18 ii (i). अंतरित बजट जो अभिन्न भाग है को वार्षिक आम सभा (AGM) में अनुमोदित किये जाने का अनुमोदन करना।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अथवा कम्पनी सचिव को आवश्यक फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है”

श्री महावीर (फोलियो संख्या: 3127) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

## 11. प्रीमियम पर अंशों का क्रय अथवा समर्पण को स्वीकार करने पर विचार कर अनुमोदन करना।

### 11.1 श्री शंकर लाल (फोलियो संख्या: 7468) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

**प्रस्ताव संख्या 11 / 2016-2017-पाँचवी आम सभा / 19.09.2016**

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 6.8, अनुच्छेद 8 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA तथा कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधारों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियों,

अनुमतियों, अनुज्ञाओं के साथ ऐसे ही कम्पनी के सदस्य, निदेशक मंडल को कम्पनी द्वारा जारी किये गये अंशों को क्रय तथा कम्पनी द्वारा जारी अंशों के समर्पण, उचित मुल्यांकन पद्धति के आधार पर निर्धारित प्रीमियम के साथ स्वीकार करने तथा ऐसे कोई नियम एवं शर्तें तथा बोर्ड द्वारा, कम्पनी अधिनियम एवं आयकर अधिनियम को सम्मिलित करते हुये लागू होने वाले विधियों, निर्धारित प्रतिफल पर स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आगर कोई सदस्य कम्पनी की सदस्यता के लागू होने वाले, समय-समय पर संशोधनों के साथ, मापदंडों को सदस्यता की तिथि से 7 वित्तीय वर्षों तक पूरा करता है, अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक समर्पण तथा अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक क्रय जैसा भी हो वह कम्पनी से प्रतिफल प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, समर्पण/क्रय के सममूल्य के साथ, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा समर्पण/क्रय के लिए निर्धारित किये गये, प्रीमियम से अधिक नहीं होगा तथा उक्त 7 वित्तीय वर्षों के मानदण्डों को पूरा करने से पूर्व सदस्यों द्वारा समर्पण/क्रय किये गये अंशों पर सदस्यों द्वारा धारित अंशों के सममूल्य के लिए पात्र होंगे तथा निदेशक मण्डल निर्दिष्ट मानदण्डों/शर्तों/परिस्थितियों के आधार पर अपने विवेकानुसार 7 वित्तीय वर्षों के मानदण्डों की उचित मामलों के संदर्भ में छूट प्रदान कर सकता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, निदेशक मंडल को अंशों का क्रय और अंशों के समर्पण स्वीकार करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलों में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सभी और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा समर्पण/क्रय के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड़, मामलों और वस्तओं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझता है, के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों या अधिकारियों की समिति को प्रत्यायोजन करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

श्री अजीत सिंह (फोलियो संख्या: 81277) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को बोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अतः अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ सभा सम्पन्न हुई।

12.

ह. / -

अध्यक्ष

दिनांक : 10 अक्टूबर, 2016

**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट**

**(अ) आयगत बजट**

विवरण		
<b>(अ) आय</b>		
दुध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	710,104
व्यापार (दुध एवं दुध उत्पाद)	रूपये लाखों में	111,489
अन्य आय	रूपये लाखों में	255
<b>(ब) व्यय</b>		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रूपये लाखों में	96,539
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रूपये लाखों में	14,422
कुल व्यय	रूपये लाखों में	110,960
कर से पूर्व लाभ (अ-ब)	रूपये लाखों में	784
	<b>% विक्रय पर :</b>	<b>0.7%</b>

**(ब) पूँजीगत बजट 2017-2018**

विवरण		
प्लांट एवं मशीनरी	रूपये लाखों में	338
ऑफिस उपकरण	रूपये लाखों में	50
आई.टी. उपकरण	रूपये लाखों में	165
लैब उपकरण	रूपये लाखों में	48
मिल्क बूथ	रूपये लाखों में	60
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रूपये लाखों में	75
कुल	रूपये लाखों में	736



## पायस मिल्क प्रोइयूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: ढी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान  
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

### उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

सदस्य

कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पायस मिल्क प्रोइयूसर कम्पनी लिमिटेड की सोमवार, 11 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 पर होने वाली छठी वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

अंशधारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर  
जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

# पायस मिल्क प्रोइयूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

 रजिस्टर्ड कार्यालय: ढी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान  
 दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

## प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

सदस्य  
कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं.....निवासी.....

.....पायस मिल्क प्रोइयूसर कम्पनी लिमिटेड का  
सदस्य एतदद्वारा श्री/ श्रीमती.....फोलियो संख्या

निवासी ..... और उनकी अनुपस्थिति

मैं श्री/ श्रीमती ..... फोलियो संख्या

--	--	--	--

निवासी .....को

कम्पनी की सोमवार, 11 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़,  
आगरा रोड़, जयपुर-302027 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली छठी वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट  
डालने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता / करती हूँ।

₹1/-  
खेन्यू टिकट

(हस्ताक्षर)

दिनांक ..... को हस्ताक्षर किये गये।

नोट: ध्यान रहे कि प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित बैठक से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

### **प्राप्ति रसीद (Acknowledgement)**

एम.सी.सी. का नाम ..... एम.पी.पी. का नाम एवं कोड .....

फोलियो संख्या : .....

सदस्य              
कोड :

मैं.....

निवासी.....

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य / की सदस्या हूँ। मैंने कम्पनी द्वारा भेजी गई पाँचवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सभी अनुलग्नों के साथ प्राप्त कर ली है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक : .....

स्थान : .....

# **बुक-पोर्ट**

**प्रेषक :**

**पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: फै-232-233, बौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,  
देशली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान  
दृश्याव नं. +91-141-4202108

Email : [info@paayasmilk.com](mailto:info@paayasmilk.com), [www.paayasmilk.com](http://www.paayasmilk.com)